(भारत के राजपत्र के भाग । खंड 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016

संकल्प

सं. 6/18/2016-टीयूएफएस संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) को दिनांक 13.01.2016 के संकल्प सं. 6/5/2015-टीयूएफएस के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। एटीयूएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 29.02.2016 के संकल्प सं. 6/5/2015-टीयूएफएस के माध्यम से जारी किए गए हैं। दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2022 तक इसके क्रियान्वयन की अवधि के दौरान एटीयूएफएस के के वित्तीय और प्रचालनात्मक मानदंड तथा क्रियान्वयन तंत्र उक्त दिशानिर्देश में दिए गए हैं।

2. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान क्षेत्र (आईटीसी एनएसएन कोड अध्याय 61 से 62) में उत्पादन तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए **एटीयूएफएस के अंतर्गत परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन और रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू)** को अनुमोदित कर दिया है। उन परिधान इकाइयों को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा जो पात्र बेंचमार्क मशीनरी की स्थापना के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त कर रहे होंगे। इसलिए इस योजना के माध्यम से परिधान इकाइयों में पात्र मशीनों के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की सब्सिडी की सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 10% की अतिरिक्त सब्सिडी इकाई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में उल्लिखित अनुमानित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर आधारित होगी।

3. यह योजना एटीयूएफएस के संकल्प की तारीख अर्थात 13.01.2016 से 31.03.2019 तक लागू होगी।

1. **उद्देश्य:**

वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन परिधान इकाइयों के लिए 10% अतिरिक्त पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान करेगी जिन्होंने 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति के आधार पर एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस लाभ प्राप्त किया है। 3 वर्ष की अवधि की गणना उस इकाई के लिए एटीयूएफएस सब्सिडी जारी किए जाने की तारीख से की जाएगी।

2. सामान्य पात्रता शर्तें

परिधान इकाइयां (परिधान/अपैरल) जिन्होंने एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस प्राप्त किए हैं और नीचे दिए अनुसार 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति को पूरी करती है, केवल वही एटीयूएफएस के एसपीईएलएसजीयू के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस हेतु पात्र होंगी।

(क) पिछले 3 वर्ष के दौरान किया गया उत्पादन डीपीआर और जीआर के अंतर्गत (1:3.5 के कारोबार अनुपात के लिए न्यूनतम निवेश के अध्यधीन डीपीआर के अनुसार अनुपात) मानकों के अनुसार अनुमानित उत्पादन के बराबर अथवा अधिक है।

(ख) पिछले 3 वर्ष के दौरान सृजित किया गया रोजगार डीपीआर और जीआर के अंतर्गत (डीपीआर और प्रत्येक एक करोड़ रुपए के निवेश के प्रति 70 नौकरी के न्यूनतम उद्योग मानदंड के अध्यधीन) मानदंडों के अनुसार अनुमानित रोजगार सृजन के बराबर अथवा अधिक है।

3. पात्र सब्सिडी के मानदंड

3.1 प्रत्येक पात्र परिधान इकाइयां जिन्होंने एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% लाभ प्राप्त कर लिया है उन्हें 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अधिकतम सीमा तक पात्र निवेश पर 10% अतिरिक्त पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, एटीयूएफएस के अंतर्गत ऐसी इकाई के लिए सब्सिडी पर कुल सीमा को 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है (15% सीआईएस के लिए 30 करोड़ रुपए और 10% अतिरिक्त सीआईएस के लिए 20 करोड़ रुपए)। यह अतिरिक्त सब्सिडी 3 वर्ष की अवधि के बाद प्रदान की जाएगी। यह उत्पादन की मात्रा, रोजगार और कारोबार से संबद्ध सत्यापन तंत्र पर आधारित होगा। इस योजना को प्रचालनशील बनाने के मानदंड निम्नानुसार होंगे:

3.1.1 परिधान इकाई का उत्पादन 1:3.5 के कारोबार अनुपात के लिए न्यूनतम निवेश के अध्यधीन डीपीआर में दिए गए अनुपात के अनुसार होगा। मौजूदा परिधान इकाई के मामले में परिधान इकाई का उत्पादन 1:3.5 के अतिरिक्त कारोबार के लिए न्यूनतम अतिरिक्त निवेश के अध्यधीन डीपीआर में दिए गए अनुपात के अनुसार होगा।

3.1.2 रोजगार का सृजन प्रति करोड़ रुपए के निवेश पर 70 नौकरी के न्यूनतम उद्योग मानक के अध्यधीन डीपीआर में दिए गए रोजगार आंकड़े के अनुसार होगा।

3.2 एटीयूएफएस के अंतर्गत पात्रता और पात्र राशि का मूल्यांकन और प्रमाणित करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) तंत्र है। जेआईटी एटीयूएफएस के अंतर्गत स्थापित मशीनों का सत्यापन करता है। इस तंत्र का उपयोग प्रपत्र-क के अंतर्गत इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए गए रोजगार और उत्पादन के आंकड़ों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा।

4. बजट आंबटन

परिधान इकाइयों के लिए अतिरिक्त सीआईएस को पूरा करने के लिए संबंधित वर्षों में एटीयूएफएस बजट के लिए निधियां प्रदान की जाएगी।

5. प्रचालनात्मक मानदंड

5.1 आवेदक अतिरिक्त 10% सीआईएस के लिए प्रपत्र-क के रूप में अपने दावा फार्म और घोषणा सहित उत्पादन और रोजगार के ब्यौरे अपलोड करेंगे।

5.2 जेआईटी ब्यौरे का सत्यापन करेगी और आईएटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त को प्रपत्र-ख के रूप में निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5.3 जेआईटी की रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात वस्त्र आयुक्त आईएटीयूएफएस के माध्यम से पात्र सब्सिडी की रिलीज के लिए वस्त्र मंत्रालय को दावा प्रस्तुत करेगा।

5.4 क्रियान्वयन तंत्र, मॉनीटरिंग तंत्र, दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र, दिशानिर्देशों में संशोधन आदि सहित सभी शर्तें एटीयूएफएस के दिशानिर्देशों के अनुसार यथासंभव यथावत रहेंगी।

(पुष्पा सुब्रह्मण्यम)
अपर सचिव, भारत सरकार

प्रपत्र-क

एटीयूएफएस के एसपीईएलएसजीयू के अंतर्गत 10% अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए दावा फार्म

भाग-I

1.	टीयूएफएस संदर्भ संख्या	
2.	यूआईडी संख्या और दिनांक	
3	इकाई की कंपनी के पंजीकरण का ब्यौरा अथवा उचित प्राधिकरण सहित पंजीकरण का ब्यौरा	कृपया एक प्रति अपलोड करें
4	नवीन बिजली के बिल की प्रति	कृपया एक प्रति अपलोड करें
5.	15% सीआईएस के लिए आयोजित पिछले जेआईटी की तारीख	
6.	टीयूएफएस के आवेदक द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए जाने की तारीख	*(सिस्टम से स्वत: तैयार किया गया)*
7.	सृजित किया गया वास्तविक रोजगार	

इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात सृजित किया गया वास्तविक रोजगार (स्तर-वार)

प्रबंधकीय		सुपरवाइजरी		कामगार		कुल		ईपीएफ योजना के अंतर्गत शामिल व्यक्ति		
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	कुल

नोट: मस्टर रोल/ईपीएफ रिकार्ड के प्रति नियोक्ता का अंशदान आदि जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए

8.	किया गया वास्तविक उत्पादन	

इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात कुल

संख्या			कारोबार (रुपए में)		
प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष

नोट: बिक्री कर के रिकार्ड/उत्पाद शुल्क के रिकार्ड/लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं आदि जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए

प्रमाणित किया जाता है कि:

इस प्रपत्र में दी गई सूचना सत्य है और इकाई के पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है जिसे किसी भी समय पदनामित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

दिनांक :

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

नोट : कृपया प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर सहित कंपनी/इकाई की सील/रबर की मुहर लगाएं।

सभी मदों को ब्यौरे सहित भरे।

भाग-II

जेआईटी के समय इकाई द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए
(इकाई पत्र शीर्ष पर)

1. प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें............................ पूर्व-प्राधिकृत किया गया है और परिधान क्षेत्र के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस प्राप्त कर लिया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें............................ परिधान क्षेत्र के लिए 10% अतिरिक्त सीआईएस के लिए एटीयूएफएस के एसपीईएलएसजीयू के अंतर्गत............ रुपए के लिए पूर्व प्राधिकृत किया गया है।

3. मैं/हम......................(लाभार्थी इकाई का नाम) एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कोई मशीनरी अथवा उसका कोई पुर्जा जिसके लिए टीयूएफएस के अंतर्गत दावा का लाभ लिया गया/लिया जा रहा है, को इस बैंक और कोई अन्य बैंक/ऋणदाता एजेंसियों/वित्तीय संस्थाओं से एक से अधिक बार वित्त पोषित नहीं किया गया है। विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रपत्र में) की एक प्रति अपलोड कर दी गई है जिसे सब्सिडी का दावा करते समय मूल रूप से जेआईटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4. मैं/हम के द्वारा वचन देते हैं कि दस्तावेजों, कंपनी/इकाई की परिसंपत्तियों के सत्यापन के दौरान जीआर के दिशानिर्देशों के अंतर्गत डीपीआर/मानदंडों के अनुसार संभावित उत्पादक और रोजगार सृजन की प्राप्ति अथवा बाद में किसी भी समय एटीयूएफएस के एसपीईएलएसजीयू के अंतर्गत प्राप्त लाभ में यदि कोई अंतर/कमी पायी जाती है तो उसे इसकी प्राप्ति की तारीख से लागू दंड स्वरूप ब्याज सहित बैंक/सरकार को लौटा दिया जाएगा।

5. मैं/हम .... वचन देते हैं कि यह इकाई पिछले 3 वर्षों से प्रचालनशील है।

(हस्ताक्षर)
मुहर सहित नाम और पदनाम

प्रपत्र – ख

एटीयूएफएस के एसपीईएलएसजीयूएल के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस प्राप्त करने के लिए इच्छुक परिधान इकाइयों द्वारा संभावित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा प्रमाणन

1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय में इकाई का आवेदन प्राप्त होने की तारीख:
2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा आबंटित यूआईडी सं.:
3. निरीक्षण की तारीख:

4	निरीक्षित इकाई का नाम एवं पता पिनकोड सहित तालुका/तहसील /मंडल: जिला: राज्य: पिनकोड:	
	फोन सं./मोबाइल सं.	
	फैक्स सं.	
	ई-मेल आईडी	
	इकाई का पैन नं.	
	पंजी. एसएसआई/ईएम नं. एवं तारीख	
	संबंधित व्यक्ति का नाम संपर्क नं.	
5.	क्या इकाई यूआईडी आवेदन में उल्लिखित पते पर कार्यशील पायी गई है	**हां** ☐ **नहीं** ☐
	यदि नहीं तो इकाई का वास्तविक पता तालुका/तहसील /मंडल: जिला: राज्य: पिनकोड:	
6.	क)क्या इकाई द्वारा **प्रपत्र-क** में प्रस्तुत तथा बैंक द्वारा प्रमाणित ब्यौरा सही पाया गया है अथवा नहीं	**हां** ☐ **नहीं** ☐
	ख) यदि नहीं तो कृपया बताएं	
	ग) क्या प्रपत्र-ग1 में इकाई से घोषणा प्राप्त कर ली गयी है और संलग्न कर दी गयी है	**हां** ☐ **नहीं** ☐
7	क) पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया उत्पादन	(see table below)
	नोट:वास्तविकता का पता लगाने के लिए बिक्री कर के रिकार्ड/उत्पाद शुल्क के रिकार्ड/लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं में दिए गए आंकड़ों से उत्पादन आंकड़ों का मिलान किया जाएगा।	
	(ख) पिछले 3 वर्ष के दौरान किया गया उत्पादन डीपीआर और जीआर के अंतर्गत (1:3.5 के	हां ☐ नहीं ☐

इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात कुल					
संख्या			कारोबार (रु. में)		
प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष

<table>
<tr><td></td><td>कारोबार अनुपात के लिए न्यूनतम निवेश के अध्यधीन डीपीआर के अनुसार अनुपात) मानकों के अनुसार अनुमानित उत्पादन के बराबर अथवा अधिक है।</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>क) पिछले 3 वर्षों के दौरान सृजित किया गया रोजगार</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">

इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात सृजित किया गया वास्तविक रोजगार (स्तर-वार)										
प्रबंधकीय		सुपरवाइजरी		कामगार		कुल		ईपीएफ योजना के अंतर्गत शामिल व्यक्ति		
महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	कुल

नोट:वास्तविकता का पता लगाने के लिए बिक्री कर के रिकार्ड/उत्पाद शुल्क के रिकार्ड/लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं में दिए गए आंकड़ों से उत्पादन आंकड़ों का मिलान किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) पिछले 3 वर्ष के दौरान सृजित किया गया रोजगार डीपीआर और जीआर के अंतर्गत (डीपीआर और प्रत्येक एक करोड़ रुपए के निवेश के प्रति 70 नौकरी के न्यूनतम उद्योग मानदंड के अध्यधीन) मानदंडों के अनुसार अनुमानित रोजगार सृजन के बराबर अथवा अधिक है।</td><td>हां ☐ नहीं ☐</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>क) एटीयूएसफ के एसपीईएलएसजीयू के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस की राशि</td><td>रुपए</td></tr>
<tr><td></td><td>ख) क्या 10% अतिरिक्त सीआईएस 20 करोड़ रुपए की सीआईएस सीमा के भीतर (प्राप्त किया गया 10% अतिरिक्त सीआईएस यदि कोई हो, सहित)</td><td>हां ☐ नहीं ☐</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% सीआईएस के लिए विचार की गई पात्र मशीनरी की कुल लागत</td><td>रुपए.__________</td></tr>
<tr><td></td><td>एटीयूएफएस के अंतर्गत स्थापित/आरंभ की गई मशीने (दिए गए अनुबंध के अनुसार प्रस्तुत किए गए मशीन का ब्यौरा)</td><td>10% अतिरिक्त सीआईएस</td></tr>
<tr><td></td><td>क्या जेआईटी सब्सिडी रिलीज करने की सिफारिश करती है</td><td>हां/ नहीं</td></tr>
<tr><td></td><td>यदि हां, पात्र निवेश</td><td>रुपए__________</td></tr>
<tr><td></td><td>यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>एटीयूएसफ के एसपीईएलएसजीयू के अंतर्गत 10% अतिरिक्त सीआईएस के अंतर्गत पात्र सब्सिडी की राशि</td><td>रुपए__________</td></tr>
</table>

इकाई के मालिक/प्राधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर

(जेआईटी के हस्ताक्षर)

(To be published in Part I Section 1 of the Gazette of India)
Government of India
Ministry of Textiles

New Delhi, the July, 2016
25th July 2016

RESOLUTION

No.6/18/2016-TUFS. The Amended Technology Upgradation Fund Scheme (**ATUFS**) has been notified vide Resolution No. 6/5/2015-TUFS dated 13.01.2016. The Guidelines of ATUFS have been issued vide Resolution No. 6/5/2015 – TUFS dated 29.02.2016. Financial and operational parameters and implementation mechanism for ATUFS during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 are laid down in the said Guidelines.

2. The Union Cabinet under the Chairpersonship of the Prime Minister has now approved the **Scheme for Production and Employment Linked Support for Garmenting Units (SPELSGU) under ATUFS** to incentivise production and employment generation in the garmenting sector (ITC NSN Code Chapter 61, 62). The additional incentive of 10% will be provided to the garmenting units which would be availing the 15% Capital Investment Subsidy (CIS) under ATUFS for the installation of benchmarked eligible machinery. The cap on capital investment subsidy for the eligible machines in the garmenting units has therefore been enhanced from Rs. 30 crore which was the cap under ATUFS, to Rs. 50 crore vide this scheme. This additional subsidy of 10% will be on achievement of the projected production and employment generation, as stated by the unit in the Detailed Project Report (DPR).

3. The Scheme will come into effect from the date of the Resolution of ATUFS i.e. 13.01.2016 till 31.03.2019.

1. OBJECTIVE :

To boost employment generation in the textile sector, the Government would provide an additional 10% Capital Investment Subsidy (CIS) for garmenting units which have availed 15% CIS benefit under ATUFS based on the achievement of projected production and employment after a period of 3 years. The period of 3 years will be counted from the date of release of ATUFS subsidy to that unit.

2. GENERAL ELIGIBILITY CONDITIONS

The garmenting units (garment / apparel) who have availed 15% CIS under ATUFS and fulfill the achievement of the production and employment generation after three years period as given below are only eligible for additional 10% CIS under **SPELSGU** of ATUFS.

(a) The production made during the last 3 years is equal to or more than the expected production as per DPR and norms under GR (Ratio as per DPR subject to minimum investment to turnover ratio of 1:3.5).
(b) The employment generated during the last 3 years is equal to or more than the expected employment generation as per DPR and norms under GR (as per DPR subject to a minimum of the industry norm of 70 jobs per one crore rupees of investment).

3 NORMS FOR ELIGIBLE SUBSIDY

3.1 Every eligible garmenting units which has availed 15% benefit under ATUFS will be paid an additional 10% Capital Investment Subsidy (CIS) on the eligible investment upto an additional maximum cap of Rs. 20 crores. Thus, the total cap on subsidy for such a unit is enhanced under ATUFS from Rs. 30 crores to Rs. 50 crores (Rs. 30 crores for 15% CIS and Rs. 20 crores for additional 10% CIS respectively). This additional subsidy will be disbursed after a period of 3 years. This will be based on a verification mechanism linked to production volume, employment and turnover. The parameters for operationalizing the scheme will be as follows:

3.1.1 The production of the garmenting unit shall be in accordance with the ratio given in the DPR subject to minimum investment to turnover ratio of 1:3.5. In case of an existing garmenting unit, the production of the garmenting unit shall be in accordance with the ratio given in the DPR subject to minimum additional investment to additional turnover ratio of 1:3:5.

3.1.2 The employment generation shall be in accordance with the employment figures given in the DPR subject to a minimum of the industry norm of 70 jobs per one crore rupees of investment.

3. 2 Under ATUFS, there is a Joint Inspection Team (JIT) mechanism for assessing and certifying the eligibility and eligible subsidy amount. The JIT verifies the machines installed under ATUFS. This mechanism will be utilised to assess the employment and production figures furnished by the units under Format –A.

4. BUDGET ALLOCATION

Funds for meeting additional CIS for Garmenting units will be provided for in the ATUFS budget in the respective years.

5. OPERATIONAL PARAMETERS

5.1 The applicants will upload the production and employment details alongwith their claim form and declaration as at Format-A for additional 10% CIS.

5.2 The JIT will verify the details and submit report in the format prescribed as at Format B to the Textile Commissioner through the i-ATUFS software.

5.3 After examining the report of JIT, the Textile Commissioner will submit claim through the i-ATUFS software to the Ministry of Textiles for release of eligible subsidy.

5.4 All other conditions including the implementation mechanism, the monitoring mechanism, the safeguards against misutilisation, the grievance redressal mechanism, the amendment of guidelines etc., continue to remain same as per guidelines of ATUFS to the extent applicable.

(Pushpa Subrahmanyam)
Additional Secretary to the Government of India

FORMAT – A

CLAIMS FORM FOR ADDITIONAL 10% CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY UNDER SPELSGU of ATUFS

PART-I

1.	TUFS Reference Number	
2.	UID No. & date	
3	Unit's company registration details or registration details with appropriate authority	Please upload a copy
4	Copy of recent electricity bill	Please upload a copy
5.	Date of last JIT conducted for 15% CIS	
6.	Date of submission of request by the TUFS applicant	*(auto generated from system)*
7.	Actual employment generated	

Actual employment generated after completion of this project (Level wise)

Managerial		Supervisory		workers		Total		Persons covered under EPF scheme		
Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Total

Note: Supportive documents such as Muster Roll/ Employer's Contribution towards EPF Records etc have to be uploaded.

8.	Actual production made	

Total After completion of this project

No. of pieces			Turnover (in Rs.)		
Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3

Note: Supportive documents such as, Sales Tax records/ excise records/audited annual accounts etc have to be uploaded.

Certified that:

The information furnished in this format is true and correct and furnished based on the documentary evidences available with the unit, which may be verified by the designated officers at any time.

Place:

(Signature)

Date : (Name and designation of the authorised signatory)

Note : Please affix seal/rubber stamp of the Company / Unit along with signature of the authorized signatory.

Fill in all the Items with specific details.

PART-II

Declaration to be furnished by the unit at the time of JIT
(On unit's letterhead)

1. It is certified that I/We ------------------has/have been pre-authorised and received 15% CIS under ATUFS for garmenting segment.

2. It is certified that I/We ------------------has/have also been pre-authorized for an amount of Rs.---------------- under SPELSGU of A-TUFS for 10% additional CIS for garmenting segment.

3. I/We ____________ (Name of the beneficiary unit) hereby certify that no machinery or any part thereof, for which benefits are being claimed/taken under TUFS, has been funded more than once from this bank and any other banks/Lending Agencies/Financial Institutions. A copy of duly signed certificate (in specified format) is uploaded which will be produced to JIT in original at the time of claiming subsidy.

4. I / we hereby undertake that in case of any variation / deficiency found in achievement of expected production and employment generation as per DPR/norms under guidelines of the GR, during the verification of the documents, assets of the company/ unit, or at any later stage, the benefits availed under SPELSGU of A-TUFS will be returned to bank(s)/ Government with the applicable penal interest from the date of its receipt.

5. I/We ----------------------undertake that the unit has been operational for the last there years from.

(Signature)
Name and Designation along with Seal

FORMAT – B

CERTIFICATION BY JOINT INSPECTION TEAM (JIT) ON ACHIEVEMENT OF EXPECTED PRODUCTION AND EMPLOYMENT GENERATION BY GARMENTING UNITS INTENDING TO AVAIL OF ADDITIONAL 10% CIS UNDER SPELSGU OF ATUFS

1. Date of Receipt of Unit's Application in.O/o.Tx.C:
2. UID No. Allotted by O/o.Tx.C:
3. Date of Inspection:

4	Name & Address of the unit inspected with pin code Taluka/Tahasil/Mandal: District: State: Pincode:	
	Phone No./Mobile No.	
	Fax No.	
	E-Mail ID	
	Unit PAN No.	
	SSI Reg./EM No. & Date	
	Name of Contact Person Contact No.:	
	Whether the unit found working on the address mentioned in the UID application.	Yes ☐ No ☐
5.	If not, then actual address of the unit. Taluka/Tahasil/Mandal: District: State: Pincode:	
6.	a)Whether details submitted in **FORMAT A** by the unit and certified by the bank are found correct or not	Yes ☐ No ☐
	b) If not please specify	
	c) Whether Declaration in FORMAT C1 is obtained from the unit and attached	Yes ☐ No ☐
7	a)The production made during the last 3 years.	

Total After completion of this project					
No. of pieces			Turnover (in Rs.)		
Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3

Note: The production figures will be tallied against the figures reflected in Sales Tax records/ excise records/audited annual accounts to ascertain their correctness.

	b) Whether the production made during the last 3 years are equal to or more than the expected production as per DPR and norms under GR (Ratio as per DPR subject to minimum investment to turnover ratio of 1:3.5) and confirmed from the documentary evidence	Yes ☐ No ☐
8.	a) Employment generated during the last 3 years.	

	Actual employment generated after completion of this project (Level wise)										
	Managerial		Supervisory		workers		Total		Persons covered under EPF scheme		
	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Total
	Note: The employment numbers will be tallied against the members in the Employer's Contribution towards EPF Records to ascertain their correctness.										

	b) Whether the employment generated during the last 3 years are equal to or more than the expected employment generation as per DPR and norms under GR (as per DPR subject to a minimum of the industry norm of 70 jobs per one crore Rupees of investment) and confirmed that they are covered under EPF	Yes ☐ No ☐
9.	a) The amount of additional 10% CIS under SPELSGU of ATUFS	Rs.
	b) Whether the additional 10% CIS is within the CIS limit of Rs. 20 crores (including the additional 10% CIS availed if any earlier)	Yes ☐ No ☐
10.	Total cost of eligible machinery considered for 15% CIS under ATUFS	Rs.__________
	Machines installed/commissioned under ATUFS (Machine details to be furnished as per given Annexure)	Additional 10% CIS
	Whether JIT recommends for release of subsidy	Yes/ No
	If yes, then eligible investment	Rs.__________
	If No, reason thereof	
11.	*Eligible subsidy amount under additional 10% CIS under SPELSGU of ATUFS*	*Rs.* __________

Signature of the Owner/
Authorized Person of the Unit with seal

(JIT signatures)